भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 1362

(जिसका उत्‍तर मंगलवार दिनांक 14 मार्च 2017/ 23 फाल्‍गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है।)

**सीमा शुल्‍क, उत्‍पाद शुल्‍क और सेवाकर अपील अधिकरण (सीस्‍टेट) के न्‍यायिक सदस्‍य पर रोक लगाया जाना**

1362. श्री डी. कुपेन्‍द्र रेड्डी :

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि सीस्‍टेट के एक न्‍यायिक सदस्‍य पर एक विशिष्‍ट लॉ फर्म के मामलों की सुनवाई करने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा और पृष्‍ठभूमि क्‍या है; और

(ग) क्‍या उक्‍त सदस्‍य के खिलाफ कोई अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की गई, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?

**उत्‍त्‍ार**

 **वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) जी, हां।

(ख) सुश्री अर्चना वधवा, सदस्‍य (न्‍यायिक), सीस्‍टेट को दिनांक 21.10.2016 और 27.10.2016 के परिपत्र के माध्‍यम से सीस्‍टेट द्वारा मैसर्स लक्ष्‍मीकुमारन और श्रीधरन, लॉ फर्म द्वारा प्रतिनिधित्‍व किए जाने वाले मामलों की सुनवाई से वंचित किया गया है। अध्‍यक्ष, सीस्‍टेट ने यह भी निर्देश दिया कि अगले आदेशों तक मैसर्स लक्ष्‍मीकुमारन और श्रीधरन द्वारा प्रतिनिधित्‍व किए जाने वाले किसी मामले/अपीलों को सुश्री अर्चना वधवा, सदस्‍य (न्‍यायिक) की अध्‍यक्षता वाली किसी पीठ के समक्ष प्रस्‍तुत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, लॉ फर्म के खिलाफ इन तथ्‍यों को छिपाने/दबाने कि मामला माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में था, द्वारा अधिकरण से अनुकूल आदेश प्राप्‍त करने के लिए बार काउसिंल ऑफ इंडिया और दिल्‍ली राज्‍य बार काउसिंल में शिकायत की गई है।

(ग) जी, नहीं।

\*\*\*\*\*\*\*